(ग) सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करने में उनके मंत्रालय की भूमिका क्या है; और

(घ) उक्त संयंत्र को कब तक कार्यान्वत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) से (घ) मंत्रालय ने मैसर्स सांघी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के गुजरात के कच्छ जिले में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 16 जून, 1995 के अपने पत्र के तहत छूट प्रदान कर दी है। सीमेंट संयंत्र के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र अनुमति अपेक्षित नहीं है। यह पता चला है कि सीमेंट संयंत्र का लगभग 85%निर्माण पूरा हो चुका है।

ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी

3397. **श्री बरजिन्दर सिंहः**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी से, परियोजनाओं को स्वीकृति और उनके निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया है;

(ख)यदि हां, तो इस संबंध में भारत द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनको स्वीकार करने के संबंध में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की प्रतिक्रिया क्या थी; और

(घ) क्या ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ने भारत द्वारा अग्रेषित कतिपय सूझावों को भी अमल में लाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) से (घ) जी, हां। नई दिल्ली में 1 से 3 अप्रैल, 1998 को आयोजित विश्व पर्यारण सुविधा (जी ई एफ) असेम्बली की पहली बैठक के दौरान भारत द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे:

(c) नवीन और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में परियोजनाओं के निधिकरण के लिए जी ई एफ क्रियाविधि काफी लचीली होनी चाहिए।

(d) भूमण्डसीय लाभों के संदर्भ में विशेषकर जैव विविधता संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं के लिए सम्मत पूर्ण संवृद्धि लागत (एग्रीड फुल इंक्रीमेंटल कास्ट) के परिकलन को सरल, लचीला और व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए।

(e) परियोजना अनुमोदन की मौजूदा लम्बी प्रक्रिया को प्राधिकार प्रत्यायोजन के साथ-साथ सरल बनाने की आवश्यकता है।

(f) विश्व पर्यावरण सुविधा की प्रथालनात्मक निति को अधिक लचीली बनाया जाना चाहिए, विश्व पर्यावरण सुविधा निधि आसानी से041 प्राप्त हो सके तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विश्व का पर्यावरण सुविधा असेम्बली की बैठक के दौरान भारत द्वारा दिए गए सुझावों का, भाग लेने वाले अन्य विकासशील देशों द्वारा समर्थन किया गया। जीईएफ द्वारा इन सुझावों का स्वागत किया गया और कुल मिलाकर उन्हें मान लिया गया। जिन्हें असेम्बली की बैठक के अंत में अंगीकृत नई दिल्ली वक्तव्य (विवरण के रूप में प्रति संलग्र) में दर्शाया गया है। (नीचे देखिए)

विवरण

अप्रैल 3, 1998

प्रथम ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एसेम्बली का नई दिल्ली वक्तव्य

ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की सभा 1-3 अप्रैल, 98 तक पहली बार नई दिल्ली में होकर,

सभी की मेजबानी उदारता, अतिथि-सराकर तथा सभी प्रतिभागियों के लिए किए गए उत्कृष्ट प्रबंधों के लिए भारत की सरकार तथा लोगों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए,

इस सभा में प्रतिभागी देशों के ग्लोबल इनवायरंमेंट फैसिलिटी के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए, यह मानते हुए कि ग्लोबल एनवायरंमेंट फैसिलिटी नए तथा अतिरिक्त अनुदान तथा छूट राशि प्रदान करवाकर सतत विकास के ढांचे के भीतर, विश्व पर्यारणीय संरक्षण को बढ़ावा देने वाली, बहुपक्षीय निधिकरण यांत्रिकी है,

यह भी मानते हुए कि विश्व के सभी लोग इसके लाभ प्राप्तकर्ता हैं तथा जीईएफ की आवश्यकता और भी ज्यादा है चूंकि हम इस बात पर जोर देते हुए कि जीईएफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एकमात्र तथा सफल उदाहरम है जो अन्य प्रयत्नों के लिए शिक्षाप्रद है,

स्वीकृत विश्व पर्यावरणीय सभाओं और प्रोटोकोलों, जैसे कि जैव-विविधता पर सभा, जलवायु बदलाव पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कैन्वेशन और क्योटो प्रोटोकोल, वियना कनवेंशन तथा ओजोन लेवर को कमजोर करने वारे तत्वों पर मॉनट्रियल प्रोटोकोल तथा मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु यू.एन. कनवेंशन के उद्देश्यों के समर्थन में जीईएफ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए,

जी.ई.एफ. इसकी क्रियान्वयन संबंधी ऐजेंसियों (यू.एन.डी.पी) (यू.एन.ई.पू. तथा विश्व बैंक) और सचिवालय, इसकी इस संगठन तथा प्रबंधन में पुनः संरचना के चार वर्ष में, इसके संस्थानिक तथा आपरेशनल फ्रेमवर्क की स्थापना करने में तथा विकासशील देशों संक्रमणाधीन अर्थव्यवस्था वाले देशों के विश्व पर्यावरणोय सुधारों तथा रियो-कनवैशनों को लागू करने में उनके प्रयत्नों में सहायता के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार करते हुए,

इससे आगे कार्यनीति संबंधी सलाह देने में तथा परियोजनाओं की समीक्षा करने में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सलाहाकारी पैनल (एस.टी.ए.पी) के उत्कृष्ट कार्य को स्वीकार करते हुए जी.ई.एफ. ट्रस्ट फंड की 2.75 डालर बिलियन की दूसरी आपूर्ति जो जी. ई. एफ. को विश्व पर्यावरणीय लक्ष्यों तथा सतत विकास को बढ़ावा देने में इसके सफल प्रयत्नों को जारी रखने योग्य बनाएगी, का स्वागत करते हुए।

जी. ई. एफ. के समस्त कार्य निष्पादन, जी. ई. एफ. परियोजना पाठों के अध्ययन, जी. ई. एफ. परियोजना क्रियान्वयन पूनरीक्षण, तथा नीतियों पर सी. ई. ओ. की रिर्पोट जी. ई. एफ. का संचालन तथा भविष्य में विकास के संबंध में विश्लेषण तथा अनुशंसाओं पर निर्णयों तथा चित्रांकन को उपयुक्त भानते हए। इस बात पर सहमति प्रदान करती है कि बी. ई. एफ. की बढ़ती हुई जरूरतों की पूर्ति तथा इसके बहुप्रयोजन मिशनों को पूरा करने के लिएः

1. जी. ई. एफ. "कटिंग ऐज" पर, अभिनवकर्ता, तथा इसके प्राप्तक देशों की आवश्यकताओं के लिए

लचीली तथा जवाबदेह और उसी प्रकार से दूसरे संस्थानों तथा प्रयत्नों के लिए उत्नेरक के रूप में एक सुविधा रहनी चाहिए।

2. जी. ई. एफ. की गतिविधियां देश-चालित होनी चाहिए तथा जी. ई. एफ. परियोजनाओं के देशी स्वामित्व के लिए प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए इसकी प्राप्ति के लिए।

(i) जी. ई. एफ. गतिविधियां सतत् विकास तथा विश्वव्यापी पर्यावरण की सहायता के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित होनी चाहिए।

(ii) जी. ई. एफ. को और लम्बी पंहुच तथा संचार के लिए एक कार्यानीति का विकास तथा क्रियान्वयन करना चाहिए जो विश्व पर्यावरण तथा जी. ई. एफ. की विश्वव्यापी चेतना को बढ़ावा देने की दृष्टि से जी. ई. एफ. के बहु-क्षेत्रों पर ध्यान रखें तथा जी. ई. एफ. की गतिविधियों के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों तथा स्थानीय समुदायों से प्राप्त परामर्श को बढावा दे।

(iii) जी. ई. एफ. को देश-स्तरीय समन्वय को सुदृढ़ करने तथा जी. ई. एफ. द्वारा वितपोषित गतिविधियों के परियोजना ढांचा तैयार तथा उसे क्रियान्वित करने में स्थानीय तथा क्षेत्रीय विशेषज्ञों और समुदाय समूहों की क्रियात्मक भागीदारी सहित असली देशी स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना का विकास करना तथा इसे लाग करना चाहिए।

3. जी. ई. एफ. को जी. ई. एफ. के वितपोषण द्वारा हुए विश्व-पर्यावरण की सततता को सुविश्चित करने वाले लाभों की तरफ प्रयत्नों को बढ़ावा देना चाहिए तथा क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए दूसरे के समन्वय हेतु एक उत्नेरक के रूप में करना चाहिए।

4. जी. ई. एफ. को परियोजना की तैयारियों को और अधिक साधारण, पारदर्शी तथा अधिक राष्ट्र-चलित बनाने की दृष्टि से इसके परियोजना चक्र को और अधिक सरल करना चाहिए।

5. जी. ई. एफ. को विश्व पर्यावरणीय लाभों को अधिकता प्रदान करने की दृष्टि से लम्बी अवधि वाली योजना तथा बहु-वर्षिय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों को हाथ में लेना चाहिए।

6. जी. ई. एफ. के लिए बढ़ती हुई लागतों के सिद्धान्त की महत्ता को पहचानते हुए, इसकी परिभाषा को अधिक स्वाभाविक बनाया जाना चाहिए जी. ई. एफ.

को, बढ़ती हुई लागतों के निर्धारण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा इसके उपयोग को और अधिक व्यवहारिक बनाना चाहिए।

7. जी.ई.एफ. एक ज्ञान हस्ती बनी रहनी चाहिए और इसकी मॉनीटारिग तथा मूथा मूल्यांकन कार्यों को सुदढ किया जाना चाहिए तथा प्रापक देशों द्वारा नई प्रोद्योगिकियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इसकी परियोजनाओं के क्रियान्दयन के अनुभव से प्राप्त ज्ञान के प्रसार के लिए प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

8. यू. एन. कन्वैंशन के सचिवालय के परामर्श ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जी.ई.एफ. को भूमि के अवक्रमण विशेष कर मरुस्थलीकरण तथा वन कटाव और इसके मुख्य क्षेत्रों तथा भूमि के अवक्रमण संबंधी गतिविधियों के लिए जी. ई. एफ. की सहायता को बढ़ाने चूकिं वे जी. ई. एफ. के मुख्य क्षेत्रों से संबंधित हैं, के बीच अनुबन्धों को और अधिक अच्छे ढंग से परिभाषित करना चाहिए।

9. जी.ई.एफ. क्रियान्वयन एजेंसियों को विश्व पर्यावरणीय कन्वैंशन के साथ क्रियान्वयन ऐजेंसियों के शासी निकायों के प्राधिकरण का पालन करते हुए उनके नियमित कार्यों औऱ समनुरूप की परिस्थितियों के भीतर विश्वव्यापी पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

10. जी. ई. एफ. को विशवव्यापी वेज्ञानिक समुदाय विशेषकर प्रापक देशों में राष्ट्रीय वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिक संस्थानों के साथ प्रगाढ़ संबंध तथा नेटवर्क स्थापित करने चाहिए।

11. जी.ई.एफ. को द्विपक्षीय विधिकरण संगठनों सहित दूसरे स्त्रोतों के द्वारा इसकी गतिविधियों के समन्वय तथा सह-वितप्रबन्ध को बढ़ावा देना चाहिए तथा दस्तावेज के पैसा 28 में उल्लिखित तत्वों विशेषकर क्षेत्रीय विकास बैंकों तथा गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा गतिविधियों के क्रियान्वयन अवसरों को विस्तृत करना चाहिए।

12. जी. ई. एफ. को सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही स्त्रोतों से अतिरिक्त संसाधन लाभबन्द करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जी.ई.एफ. को एक प्रायोगिक बदलाव के लिए मंच के रूप में निजी क्षेत्र के लिए भागेदारी तथा उसी प्रकार से निजी-सार्वजनिक संबुक्त उद्यमों के लिए नए अवसरों की खोज करनी चाहिए।

देश की एक-तिहाई भूमि को वन-भूमि में रकिवकर्तित किया जाना

3398. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**:

श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या पर्यावरण औऱ वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की कुल भूमि में से एक-तिहाई भूमि को वन-भूमि में परिवर्तित करने के लेए आवश्यक सूझाव देने हेतु श्री ए.के. मुखर्जी की अध्यक्षता वाली किसी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को यह प्रतिवेदन किस तारीख को प्राप्त हुआ था, इस प्रतिवेदन का पूर्ण ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) जी, हां

सरकार ने वनीकरण नीतियों तथा परती भूमियों के पुनरुद्धार के पुनरीक्षण हेतु निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के संदर्भ में श्री ए. के. मुखजीं, वन महानिरीक्षक (सवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी:-

1. वनीकरण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण करना तथा निधिकरण संसाधनों में वृद्धि सहित देश में वनीकरण गतिविधियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए अन्योपायों का सुझाव देना।

2. भारत सरकार के वनीकरण उद्देश्यों के लिए वर्तमान संस्थानिक प्रबंधों की पुनरीक्षा करना और अच्छी कार्यक्षमता एवं समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त बदलाव के संबंध में सुझाव देना।

3. संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए देश में संयुक्त वन प्रबंधन (जे. एफ. एम.) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा करना तथा कार्यक्रम बदलाव संबंधी सुझाव देना।

(ख) जी, हां।